न्यायालय अपर जिला जज, प्रथम, जौनपुर
उपस्थितः श्री अनिल कुमार यादव,प्रथम एच0जे0एस0 ।
सिविल निगरानी संख्याः 20/2025
जीवनशंकर–––––––––––बनाम–––––––––मोहनशंकर

<u>निर्णय</u>

प्रश्नगत सिविल निगरानी सिविल जज (सी0डि0),जौनपुर, जौनपुर द्वारा मूलवाद सं0 627/2006 प्रेमशंकर बनाम जीवनशंकर में पारित आदेश दिनांकित 17.12.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है।

दौरान सुनवाई उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि मूल वाद संख्या 627/2006 प्रेमशंकर बनाम जीवनशंकर की पत्रावली में वादी की ओर से प्रार्थनापत्र का0सं0 48क वादपत्र में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा आपत्ति की गयी। पक्षकारो को सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2024 को निगरानीकर्ता/वादी का प्रार्थनापत्र 48क स्वीकार किया गया।

<u>निगरानीकर्ता/प्रतिवादी</u> की ओर से उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रश्नगत निगरानी संस्थित की गयी है। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में सरसरी तौर से कथन करते हुए यह आधार लिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से आलोच्य आदेश पारित किया है। जहॉ तक निगरानीकर्ता द्वारा लिया गया उक्त आधार का प्रश्न है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में यह निष्कर्ष निकालते हुए कि वादी द्वारा संशोधन प्रार्थनापत्र के माध्यम से वादपत्र में मद ब की सम्पत्ति को अपना तनहा दर्शित करना चाहता है, प्रश्नगत सम्पत्ति मद ब वादी पक्ष की तनहा है या सयुक्त है, उक्त तथ्य का निराकरण सम्पूर्ण साक्ष्य आने के उपरान्त ही हो सकता है, वादी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। वादपत्र में संशोधन के मामले में प्रार्थनापत्र पर विचार करने के पूर्व मात्र यह देखा जाना है कि प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति परिवर्तित होती है अथवा नहीं। साथ ही प्रस्तावित संशोधन वाद के प्रभावी निस्तारण के लिए आवश्यक है अथवा नहीं। प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती। प्रस्तुत मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी प्रकार का निष्कर्ष निकाला है। विद्वान अवर न्यायालय का आलोच्य आदेश पूर्णतः विधिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.12.2024 की पुष्टि की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

<u>दिनांक–04.05.2026</u>

(अनिल कुमार यादव,प्रथम)
अपर जिला जज, प्रथम
जौनपुर।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 6112

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

<u>दिनांक–04.05.2026</u>

(अनिल कुमार यादव,प्रथम)
अपर जिला जज, प्रथम
जौनपुर।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 6112

Digitally signed by ANIL KUMAR YADAV
Date: 2026.05.04 13:17:54 IST
Reason: Judgment
Location: District and Sessions Court
Jaunpur